न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला नागौर
पिठासीन अधिकारी श्री सुरेश कुमार प्रथम (आर०ए०एस०)

राजस्व वाद संख्या– 12/2010

1– रामकिशोर पुत्र भगवानाराम
2– जगदीशराम पुत्र भगवानाराम
3– प्रहलादराम पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी मांगलोद तहसील जायल जिला नागौर।

..........................वादीगण

बनाम

1– सायरी पुत्री भगवानाराम जाति जाट निवासी मांगलोद तहसील जायल जिला नागौर।
2– सरकार जरिये तहसीलदार जायल जिला नागौर।

.... प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 व 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्तागण:–

1– श्री अम्बालाल पाराशर वादीगण की और से।

–: निर्णय :–

दिनांक : 28.08.19

वादी वादीगण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादी एक ही परिवार के सदस्य है वादीगण व प्रतिवादी के बडेर की पुश्तैनी भूमि मौजा मांगलोद के खेत खसरा नम्बर 176/1 रकबा 08 बीघा 02 बिस्वा, खेत खसरा न. 247 रकबा 20 बीघा, खेत खसरा नं. 381 रकबा 17 बीघा 09 बिस्वा, खेत खसरा न. 384 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा, खेत खसरा नं. 479 रकबा 02 बीघा 15 बिस्वा, खेत खसरा नं. 741 रकबा 09 बीघा, खेत खसरा नं. 823 रकबा 04 बीघा 12 बिस्वा, खेत खसरा नं. 1134/873 रकबा 13 बीघा 06 बिस्वा, खेत खसरा नं. 1137/903 रकबा 04 बीघा रहती चली आई है। प्रतिवादी वादीगण की बहन है व प्रतिवादी ने वादीगण के हक में हकतर्क कर दिया है। बंटवाडा स्कीम निम्न प्रकार है.–

1. यह है कि वादी सं. 01 रामकिशोर के हक बट, कब्जाकाश्त व खातेदारी मे वाके मांगलोद के खेत खसरा नं. 741 रकबा 09 बीघा पूरा खेत, खेत खसरा नं. 176/1 रकबा 08 बीघा 02 बिस्वा पूरा खेत, खेत खसरा न. 479 रकबा 02 बीघा 15 बिस्वा तथा खेत खसरा नं. 381 रकबा 17 बीघा 09 बिस्वा में से 09 बीघा 07 बिस्वा नजरी नक्शा अनुसार रखा गया।
2. वादी सं. 02 जगदीशराम के हक बंट, कब्जाकाश्त व खातेदारी मे वाके मौजा मांगलोद के खेत खसरा न. 274 रकबा 20 बीघा पूरा खेत, खेत खसरा नं. 1134/873 रकबा 13 बीघा 06 बिस्वा पूरा खेत तथा खेत खसरा नं. 384 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा में से 09 बीघा 07 बिस्वा नजरी नक्शा अनुसार रखा गया है।
3. वादी सं. 03 प्रहलादराम के हकबंट, कब्जाकाश्त व खातेदारी में वाके मौजा मांगलोद के खेत खसरा नं. 823 रकबा 04 बीघा 12 बिस्वा पूरा खेत, खेत खसरा न. 1137/903 रकबा 04 बीघा पूरा खेत, खेत खसरा नं. 384 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा में से 01 बीघा

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल, जिला नागौर

Scanned by CamScanner

05 बिस्वा नजरी नक्शा अनुसार व खेत खसरा नं. 381 रकबा 17 बीघा 09 बिस्वा में से 08 बीघा 02 बिस्वा नजरी नक्शा अनुसार रखा गया है।

अतः दावा पेश कर इस्तदुआ वादीगण है कि वाद के पैरा संख्या 02 के उप पैरा क व ख के अनुसार डिक्री सादिर फरमाई जावे।

वाद वादीगण का दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी सं. 01 ने हकतर्कनामा अपने वादीगण के पक्ष में प्रस्तुत किया।

वादीगण व प्रतिवादी सं. 01 के बीच सहमति होने के कारण वाद में विवाद्यक बिन्दु तय नहीं किये गये। प्रकरण में विद्वान अधिवक्ताओं वकील वादीगण की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वाद पत्र में अंकित तथ्यों के अनुसार खातेदारी घोषित की जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार जायल को तहरीर जारी की जाकर वाद को निर्णित करते हुए वाद को डिक्री किये जाने का अनुरोध किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। सभी पक्षकारों में में सहमति होने के कारण वाद के अनुसार वादीगण का वाद निम्न प्रकार से स्वीकार कर डिक्री किया जाता है :–

1. यह है कि वादी सं. 01 रामकिशोर के हक बट, कब्जाकाश्त व खातेदारी में वाके मांगलोद के खेत खसरा नं 741 रकबा 09 बीघा पूरा खेत, खेत खसरा नं. 176/1 रकबा 08 बीघा 02 बिस्वा पूरा खेत, खेत खसरा नं 479 रकबा 02 बीघा 15 बिस्वा तथा खेत खसरा नं. 381 रकबा 17 बीघा 09 बिस्वा में से 09 बीघा 07 बिस्वा नजरी नक्शा अनुसार रखा गया।
2. वादी सं. 02 जगदीशराम के हक बट, कब्जाकाश्त व खातेदारी में वाके मौजा मांगलोद के खेत खसरा नं. 274 रकबा 20 बीघा पूरा खेत, खेत खसरा नं. 1134/873 रकबा 13 बीघा 06 बिस्वा पूरा खेत तथा खेत खसरा नं. 384 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा में से 09 बीघा 07 बिस्वा नजरी नक्शा अनुसार रखा गया है।
3. वादी सं. 03 प्रहलादराम के हकबट, कब्जाकाश्त व खातेदारी में वाके मौजा मांगलोद के खेत खसरा नं. 823 रकबा 04 बीघा 12 बिस्वा पूरा खेत, खेत खसरा नं. 1137/903 रकबा 04 बीघा पूरा खेत, खेत खसरा नं. 384 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा में से 01 बीघा 05 बिस्वा नजरी नक्शा अनुसार व खेत खसरा नं. 381 रकबा 17 बीघा 09 बिस्वा में से 08 बीघा 02 बिस्वा नजरी नक्शा अनुसार रखा गया है।

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर वाद वादीगण का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। इसी माफिक डिक्री पर्चा भरा जाकर तहसीलदार जायल को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।

(सुरेश कुमार प्रथम)
सहायक कलक्टर, जायल
जायल, जिला नागौर

निर्णय आज दिनांक 28.08.19 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार प्रथम)
सहायक कलक्टर, जायल
जायल, जिला नागौर

Scanned by CamScanner